राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा

रंगबाडी रोड, सेक्टर–ए, रंगबाडी, कोटा 324005

दूरभाष न0 0744-2470674 || ईमेल : principalmck@gmail.com || वेबसाइट : http://www.education.rajasthan.gov.in/gmckota

कमांकः प. (145)स्था0अराज0–I/नियुक्ति/क0सहा0/2020/ दिनांकः

–::कार्यालय आदेश::–

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग जयपुर से प्राप्त पत्रांक प. 1(6) प्र.सु./अनु–3/2020/2017 जयपुर दिनांक 16.06.2020 के द्वारा **राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर** द्वारा **लिपिक ग्रेड– द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा,2013** में अधीनस्थ कार्यालय हेतु कार्यग्रहण नहीं करने वाले (**NJR**) अभ्यर्थियों के विरूद्व आरक्षित सूची में से नाम पिक–अप किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के अन्तगर्त मेडिकल कॉलेज कोटा में निम्नांकित अभ्यर्थी को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के उपरान्त अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee)के रूप में **नियत पारिश्रमिक रू0 14600– प्रतिमाह** एवं तत्पश्चात सेल नं0 01 व लेवल–5 पर अधोलिखित शर्तो पर उपस्थिति तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

Sno.	Meritid	Roll No.	Name	Cat.	Sel. Cat.
1.	1029	650352	RAMSWROOP KACHHAWAHA	BC	GEN

शर्ते:–

1. उपरोक्त अभ्यार्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 15 दिवस में उपस्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ हो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवे कि वे कब तक कार्य भार संभालेगें। निर्धारित अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने एवं उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
2. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परीविक्षाकाल के दौरान नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप से प्रस्तुत करनी होगी ।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक (लिपिक ग्रेड–II) के पद पर उपस्थिति तिथि से मान्य होगी ।
4. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग के नोटिफिकेशन कमांकः–एफ. 14(1)एफडी(नियम)/2013 जयपुर दिनांकः–30.10.2017 एवं समसंख्यक दिनांकः– 09.12.2017 के शिड्यूल–5 (नियम–22) के अन्तगर्त नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें । इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा – मकान किराया भत्ता , मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें ।
5. परीवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी ।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परिवीक्षा काल की समाप्ति पर ली गई विभागीय परीक्षा (यदि कोई हो तो) में असफल रहने पर उन्हे बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा ।
7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोष जनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारिण कनिष्ठ सहायक के सेल नं0 01 व लेवल–5 में करते हुये नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगें ।
8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें तथा राजकीय अवकाश के दिन राजकीय कार्य से कार्य स्थल पर उपस्थित होने पर क्षतिपूर्ति अवकाश देय नहीं होगा ।

क्रि0/2

9. राज्य सरकार के द्वारा आदेश सं0 एफ13(1)/वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अशंदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधिन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगें।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हे राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Throgh Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र पूर्व नियोजक से प्राप्त किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक की होगी।
11. यदि इनके दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते है तो इनकी राज्य सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
12. इनकी जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्ड्री परीक्षा उर्तीण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अकिंत की गई है । अकिंत की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ / कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा । इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राज0 लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर पर ही होगा ।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
15. अभ्यर्थी के राज्य सेवा पर कार्यग्रहण करते समय, पुलिस वेरीफिकेशन, विवाह एंव सन्तान सम्बन्धि शपथ पत्र , दहेज सम्बन्धी घोषणा–पत्र, किसी तरह का नशा,धुम्रपान एवं तम्बाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।(यदि पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है तो)
16. अभ्यर्थी को राज्य सेवा पर कार्यग्रहण करते समय मेडिकल ज्यूरिष्ठ द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (राज्य सेवा करने के लिये फीट) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक अथवा उसके पश्चातवर्ती होना आवश्यक होगा। पूर्व की दिनांक का मान्य नहीं होगा।

sd
(डॉ0 विजय सरदाना)
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांकः प. (145)स्था0अराज0–।/नियुक्ति/क0सहा0/2020/ 1131 दिनांकः 21/7/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव,राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. शासन उप सचिव, प्रशासन सुधार (अनुभाग–3)विभाग जयपुर
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग जयपुर
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर
5. शासन उप सचिव, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एवं संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर
7. अतिरिक्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय (प्रथम/द्वितीय) कोटा
8. मुख्य लेखाधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय कोटा
9. संबंधित .... को भेजकर लेख है कि **इस संस्था में उपस्थिति के समय पुलिस वेरिफिकेशन, चिकित्सा प्रमाण पत्र** (मेडिकल **ज्यूरिष्ठ द्वारा)**, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र (उच्च माध्यमिक परिक्षा प्रमाण पत्र सहित), प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति, दो चरित्र प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित) एवं रू0 10/– **के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संतान संबंधी घोषणा पत्र एंव दहेज संबंधी** घोषणा पत्र **(नोटेरी से प्रमाणित), प्रस्तुत करें तथा उपस्थिति तिथि से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay)** पर कार्य **करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करें।**
10. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त निजी सचिव, मेडिकल कॉलेज कोटा
11. निजी शाखा/स्था0 राज0/बिल अराज0/केशियर/लेखा/सामान्य शाखा मेडिकल कॉलेज कोटा
12. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक